आरएफपी संदर्भ संख्या:- टीआरओ/टीआरओ/डीओसी/2025/00014 दिनांक 24 मार्च, 2025

प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) - तिरुवनंतपुरम, केरल में क्षेत्रीय कार्यालय का आंतरिक साज-सज्जा कार्य

सहायक महाप्रबंधक
तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय
राष्ट्रीय आवास बैंक
टीसी नंबर 15/3971, ग्राउंड फ्लोर,
सिटी ब्रांच ऑफिस नंबर III,
एलआईसी डिवीजनल ऑफिस के पीछे,
पट्टम, तिरुवनंतपुरम
केरल - 695004
फोन: 9818392483
ई-मेल: **vaibhav.ramteke@nhb.org.in**

1. महत्वपूर्ण बोली विवरण		
1.	बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों की बिक्री शुरू होने की तारीख	24.03.2025
2.	बोली पूर्व बैठक की तिथि	26.03.2025, 1200 घंटे
3.	बोली दस्तावेज प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	01.04.2025, 1600 घंटे
4.	तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय	01.04.2025, 1700 घंटे
5.	बयाना जमा राशि	₹ 45,000/-
6.	बोली खोलने का स्थान	**तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय राष्ट्रीय आवास बैंक टीसी नंबर 15/3971, ग्राउंड फ्लोर, सिटी ब्रांच ऑफिस नंबर III, एलआईसी डिविजनल ऑफिस के पीछे, पट्टम, तिरुवनंतपुरम केरल – 695004 फोन: 9818392483**

नोट: -

- बोली उन बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली जाएगी जो उपरोक्त रूप से उपस्थित होना चाहते हैं। उपरोक्त कार्यक्रम में परिवर्तन हो सकता है। किसी भी परिवर्तन की सूचना रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित करके दी जाएगी।

- इस आरएफपी के साथ दस्तावेजी सबूतों/कंपनी रिकॉर्ड के माध्यम से प्रस्तुत सभी डेटा/सूचना की रिपोर्ट की जानी चाहिए और इसे इस आरएफपी के प्रकाशन की तिथि के अनुसार माना जाएगा

2.राष्ट्रीय आवास बैंक के बारे में

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक), राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 ("अधिनियम") के तहत स्थापित, भारत सरकार के तहत एक सांविधिक निकाय है।

(क)राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु किया गया है-

- आबादी के सभी वर्गों की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना।
- विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना।
- आवास हेतु भवन निर्माण योग्य भूमि और निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करना और देश में आवासीय स्टॉक को अद्यतित करना।
- आवास हेतु सेवित भूमि के सुविधाप्रदाता और आपूर्तिकर्ता के तौर पर उभरने हेतु सार्वजनिक एजेंसियों को प्रात्साहित करना।

(ख) रा.आ.बैंक का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा एक क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई में स्थित है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ, गुवाहाटी, जयपुर, रायपुर चंडीगढ़, भुवनेश्वर, पटना, रांची और तिरुवनंतपुरम में स्थित हैं।

3. कार्य क्षेत्र:

अनुबंध V में वर्णित बीओक्यू के अनुसार ग्राउंड फ्लोर एलआईसी के सिटी ब्रांच ऑफिस नंबर III बिल्डिंग पट्टम, तिरुवनंतपुरम, केरल में स्थित रा.आ.बैंक के तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय के नवीनीकरण के लिए " आंतरिक साज-सज्जा कार्य " करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) की ओर से मुहरबंद प्रतिशत निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल/अनुबंध की सामान्य शर्तों को सभी संदर्भों के लिए संदर्भित किया जाएगा। इन मैनुअलों के विनिर्देश के अनुपालन में कार्य किया जाएगा।

फर्म यह सुनिश्चित करेगा कि मदों को निर्धारित समय अवधि के भीतर प्रदान/स्थापित किया जाएगा।
फर्म मदों को लाने और उन्हें निर्धारित स्थान पर स्थापित करने की जिम्मेदारी वहन करेगा, मदों के लिए उद्धृत दरों से अधिक परिवहन शुल्क/स्थापना शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, बैंक द्वारा बीओक्यू मात्रा से +/- 10% मात्रा-वार विचलन की अनुमति दी जा सकती है। अंश के

मामले में निकटतम उच्च संख्या पर विचार किया जाएगा। बोलीदाता द्वारा बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। बैंक अपने विवेक से अनुबंध देने के बाद भी पूर्णत: या आंशिक रूप से बीओक्यू से किसी भी काम को हटा सकता है।

बैंक द्वारा अतिरिक्त मदों, यदि कोई हो, की अनुमति दी जा सकती है, जो बीओक्यू में उल्लिखित अनुलग्नक V में उद्धृत कुल परियोजना लागत के 15% से अधिक नहीं होगी। बोलीदाता द्वारा बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

सभी बोलियों के साथ निम्न विवरण के अनुसार **राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली** के पक्ष में ई-भुगतान के माध्यम से या डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के रूप में **राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली** के पक्ष में **₹ 45,000/- (पैंतालीस हजार रुपये मात्र)** की वापसी योग्य ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमा (ईएमडी) होना चाहिए

क्र.सं.	प्रकार	विवरण
1	लाभार्थी का नाम	राष्ट्रीय आवास बैंक
2	लाभार्थी का पता	कोर 5ए, तीसरी से पांचवीं मंजिल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
3	लाभार्थी के बैंक का नाम	भारतीय स्टेट बैंक
4	लाभार्थी के बैंक शाखा का पता	स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
5	बैंक खाते का प्रकार	चालू खाता
6	लाभार्थी का बैंक खाता सं.	52142903844
7	बैंक शाखा का आईएफएससी कोड	SBIN0020511
8	एमआईसीआर सं	110004005

एमएसएमई को ईएमडी जमा करने की छूट या अन्यथा बोली लगाने वाला द्वारा लिखित रूप में दावा किए जाने की स्थिति में, भारत सरकार के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार लागू होगी। इस निविदा के लिए कोई निविदा शुल्क प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

निविदा आवेदन सीलबंद लिफाफे में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाएगा:

1. **अलग सीलबंद लिफाफा जिसमें भाग क शामिल हो** [i) तकनीकी बोली, अनुलग्नक-IV और V को छोड़कर सभी पृष्ठों पर विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी हो, ii) पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करने के प्रमाण के रूप में सहायक दस्तावेज और iii) ईएमडी या लिखित छूट दावे की रसीद/प्रमाण]
2. **अलग सीलबंद लिफाफा जिसमें भाग ख** [वाणिज्यिक बोली- अनुलग्नक IV और V] शामिल हैं
3. **बाहरी सीलबंद लिफाफा जिसमें उपरोक्त दो लिफाफे हों,** जिसके ऊपर लिखा हो "तिरुवनंतपुरम, केरल में स्थित तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय के आंतरिक साज-सज्जा कार्य, नवीनीकरण हेतु निविदा आवेदन"

4. अनुबंध की अवधि:

स्थापना की तारीख से 24 महीनों के लिए विक्रेता किसी भी निर्माण दोष के लिए जिम्मेदार होगा और इस वारंटी अवधि के भीतर बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के आवश्यक मरम्मत/सुधार का काम पूरा करेगा। यदि दोषों की सूचना देने के एक सप्ताह के भीतर मरम्मत/सुधार नहीं किया जाता है, तो रा.आ.बैंक इसे बाजार से मरम्मत/सुधार कराने के लिए स्वतंत्र होगा और प्रतिधारण धन से आवश्यक वसूली की जाएगी।

5. बोलीदाताओं को निर्देश

5.1 सामान्य: -

- विकास, तैयारी, एवं प्रत्युत्तरों के प्रस्तुत करने से किसी भी प्रकार से संबद्ध सहित लेकिन जो बैठकों, चर्चाओं, प्रदर्शन, इत्यादि में उपस्थिति तक सीमित न हो एवं रा.आ. बैंक द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सूचना प्रदान करने में बोलीदाताओं द्वारा वहन की गई समस्त लागत एवं व्यय पूरी तरह एवं केवल बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी।
- बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के अतिरिक्त, संविदात्मक करार के निष्पादन तक बोलीदाताओं एवं रा.आ.बैंक में से किसी के भी बीच कोई बाध्यकारी विधिक संबंध नहीं होंगे। बोलियों के मूल्यांकन एवं उनको अंतिम रूप देने के एवं सफल बोलीदाता की पहचान के पश्चात सत्यनिष्ठा समझौता सफल बोलीदाता द्वारा निश्चित समझौता के भाग हेतु होगा। अन्य बोलीदाताओं के लिए, संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता प्रस्तुत बोली के संबंध में कथोक्त संविदा पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के उल्लंघन में बोलीदाता द्वारा किए गए किसी कार्य/चूक हेतु उन पर बाध्य होगा।
- प्रत्येक बोलीदाता मानेगा और स्वीकार करेगा कि राष्ट्रीय आवास बैंक पात्र बोलीदाता को सूचीबद्ध करने/चयन करने के लिए प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए दस्तावेज़ में विनिर्दिष्ट चयन मानदंडों को अपने पूर्ण विवेक से लागू कर सकता है।
- प्रत्येक बोलीदाता को इस आरएफपी के जवाब में अपनी बोली जमा करते ही यह सुनिश्चित करता है, उसे आरएफपी और अस्वीकरण की शर्तों स्वीकार है।
- बोलीदाताओं से अपेक्षित है कि वे इस आरएफपी से संबंधित सभी पत्राचार सीधे निम्नलिखित नामित संपर्क व्यक्तियों को भेजें

नाम : एम एस श्रीनाथ पदनाम : उप प्रबंधक ईमेल आईडी: m.sreenath@nhb.org.in फ़ोन नंबर:+91-7428682516	नाम : वैभव जे रामटेके पदनाम : सहायक महाप्रबंधक ईमेल आईडी: vaibhav.ramteke@nhb.org.in फोन नंबर:+91-9818392483

प्रश्न/संदेह, यदि कोई हो, को बोली-पूर्व बैठक में बोलीदाता द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है

- राष्ट्रीय आवास बैंक आरएफपी/निविदा बंद होने के पश्चात अपने पूर्ण विवेक पर किसी भी बोलीदाता/ बोलीदाताओं से अतिरिक्त सूचना अथवा सामग्री की मांग कर सकता है एवं बोलीदाता के प्रत्युत्तर के तौर पर ऐसी सभी सूचना एवं सामग्री उपलब्ध कराई जानी अत्यंत आवश्यक होगी।

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरएफपी हेतु प्रत्युत्तर तुरंत सूचित किया जाए, बोलीदाताओं को अपने संपर्क व्यक्ति, टेलीफोन, ई-मेल एवं पूरे पते का विवरण देना चाहिए।
- यदि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेक पर यह समझे कि प्रश्न का प्रवर्तक प्रश्न के प्रत्युत्तर से लाभ हासिल करेगा तो राष्ट्रीय आवास बैंक के पास सभी बोलीदाताओं को ऐसे उत्तर बताने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- प्रश्न/स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, तो सोमवार से शुक्रवार सुबह 10.30 बजे से शाम 5.30 बजे के बीच (सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर) बोलियां जमा करने की समय सीमा से पूर्व ऊपर दिये गए संपर्क व्यक्ति से संपर्क कर सकते है।

- **बोलीदाता को भारत में किसी भी सरकारी विभाग/सार्वजनिक उपक्रम/बैंक/वित्तीय संस्थान/भा.रि.बैंक द्वारा बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए ब्लैकलिस्ट/रोका न गया हो।**

- राष्ट्रीय आवास बैंक सभी चयनित बोलीदाताओं को अपने आरएफपी के परिणाम के बारे में लिखित में या मेल द्वारा या अपने वेबसाइट पर प्रकाशित कर सूचित करेगा। राष्ट्रीय आवास बैंक किसी भी स्वीकार या अस्वीकार हेतु कोई कारण प्रदान करने हेतु बाध्य नहीं है।

5.2 निर्माण-स्थान का दौरा

प्रस्ताव/बोली जमा करने से पहले, विक्रेता रा.आ.बैंक के कार्य दिवसों पर रा.आ.बैंक की निर्माण-स्थाल पर जा सकते हैं, समापन तिथि से पहले जहां यह काम किया जाना है। बोली जमा करने के बाद उक्त दौरे/अतिरिक्त सामग्री की आवश्यकता स्थापना/आपूर्ति उद्देश्य के लिए रा.आ.बैंक द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

5.3 निविदा/आरएफपी की अहस्तांतरणीयता

यह निविदा/आरएफपी दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।

5.4 विलोपन या परिवर्तन

विलोपन या परिवर्तन वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सकता है। रा.आ. बैंक के विवेकाधिकार पर किसी भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन पर विचार किया जा सकता है, केवल तभी यदि वह बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा आद्याक्षरित हो। तथापि, वाणिज्यिक बोली में किसी भी स्थिति में कोई भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रस्ताव में हाथ से लिखी हुई सामग्री, सुधार या बदलाव नहीं होना चाहिए। तकनीकी विवरण पूरी तरह से भरा होना चाहिए। प्रस्तावित उत्पाद की सही तकनीकी जानकारी भरी होनी चाहिए। “ठीक”, “स्वीकृत”, “विख्यात”, जैसा कि ब्रोशर/नियमावली में दिया गया है, इन शब्दों का प्रयोग करके जानकारी भरना स्वीकार्य नहीं है। हालांकि, रा.आ. बैंक इन दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले प्रस्तावों को अस्वीकृत करेगा। रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकर पर, प्रस्ताव में कोई भी मामूली गैर-अनुरुपता या किसी भी मामूली अनियमितता में छूट कर सकता है। यह सभी बोलिदाताओं पर बाध्यकारी होगा तथा रा.आ.बैंक इस तरह की छूट के लिए अधिकार सुरक्षित रखता है।

5.5 बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेज़ में संशोधन

1. बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा से पूर्व किसी भी समय रा.आ. बैंक, किसी भी कारण, संशोधन या शुद्धिपत्र द्वारा बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेज में सुधार कर सकता है।
2. संशोधन की सूचना संबंधित सूचीबद्ध बोलीदाता को ईमेल के माध्यम से दी जाएगी।
3. सभी बोलीदाताओं को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा बोली प्रस्तुत करने से पहले आरएफपी में संशोधन/वर्धन (यदि कोई है) पर विचार किया गया है। बोलीदाता द्वारा कोई भी चूक किए जाने के मामले में रा.आ. बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
4. रा.आ. बैंक अपने विवेकानुसार बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा को आगे बढ़ा सकता है।
5. रा.आ. बैंक किसी भी संवादहीनता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इसके अलावा रा.आ. बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी स्थिति में निविदा को रद्द करने या निविदा प्रक्रिया को छोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

5.6 बोली की भाषा

बोलीदाताओं द्वारा तैयार बोली के अलावा बोलीदाता एवं बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किये जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज एवं समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में लिखित होंगे।

5.7 स्थान/मात्रा में संशोधन का अधिकार

राष्ट्रीय आवास बैंक के पास निविदा में निर्धारित प्रस्तावित स्थल/स्थलों को संशोधित करने का अधिकार है। राष्ट्रीय आवास बैंक के पास समय-समय पर निविदा में निर्धारित सूची से एक या एक से अधिक स्थल/स्थलों को जोड़ने/हटाने का भी अधिकार सुरक्षित है।

5.8 बोली में शामिल दस्तावेज (यदि कोई हो, कृपया प्रारूपों में अलग से निर्धारित निर्देशों का पालन करें)

1. **अनुलग्नक I** में निर्धारित प्रारूप में बोलीदाता की जानकारी;
2. **अनुलग्नक II** में निर्धारित प्रारूप में अनुपालन विवरण घोषणा;
3. विचलन की सूची, यदि कोई हो, **अनुलग्नक III** में निर्धारित प्रारूप में;
4. **अनुलग्नक IV** के अनुसार वाणिज्यिक बोली कवरिंग पत्र
5. **अनुबंध V** के अनुसार वाणिज्यिक बोली प्रारूप
6. **अनुलग्नक VI** में निर्धारित प्रारूप में ईसीएस अधिदेश;
7. **अनुलग्नक VII** में दिए गए प्रारूप में समाधान मैट्रिक्स;
8. अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता (जहां भी लागू हो) **अनुलग्नक VIII** में दिए गए प्रारूप में(अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता 100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टैम्प पेपर पर साफ-साफ टाइप करके प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिस पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और बाद में एनएचबी की ओर से उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। निष्पादन की तिथि बोलीदाता द्वारा बोली में उल्लिखित तिथि होनी चाहिए)

9. **अनुलग्नक X** के खंड 8.18 के अनुसार प्रमाण पत्र।

5.9. बोली मुद्रा

बोलियां केवल प्रतिशत (%) में उद्धृत की जाएंगी। प्रतिशत शर्तों के अतिरिक्त उद्धृत की गई बोलियों पर मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

5.10. कार्यान्वयन अनुसूची

- बोलीदाता कार्य आदेश की तिथि से चार सप्ताह के भीतर कार्य को पूरा करेगा

5.11. बोलियों की वैधता की अवधि

- बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तावित कीमतें और अन्य शर्तें राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वाणिज्यिक बोली खोलने की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।
- असाधारण परिस्थितियों में बैंक बोलीदाताओं से वैधता की अवधि बढ़ाने के लिए सहमति की मांग कर सकता है। उसके लिए अनुरोध और प्रतिक्रिया लिखित में होगी। दी गई बोली प्रतिभूति घोषणा/ईएमडी को भी बढ़ाया जाएगा।

5.12 बोलियों का प्रारूप और हस्ताक्षर

आरएफपी के खंड 5.8(पृष्ठ सं 8) में उल्लिखित अनुसार विधिवत भरे हुए अनुलग्नकों के साथ वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत की जानी है।

मूल बोलियों को अमिट स्याही से टंकित या लिखा जाएगा एवं बोली लगाने वाले या बोली लगाने वाले को अनुबंध से जोड़ने के लिए विधिवत अधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को असंशोधित मुद्रित साहित्य को छोड़कर बोली के सभी पृष्ठों पर अपने आद्याक्षर करने होंगे।

5.13 बोलियों को सील करना और चिह्नित करना

- सभी लिफाफे नीचे दिए गए पते पर राष्ट्रीय आवास बैंक को संबोधित किए जाने चाहिए:

  सहायक महाप्रबंधक
  तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय
  राष्ट्रीय आवास बैंक
  टीसी नंबर 15/3971, ग्राउंड फ्लोर,
  सिटी ब्रांच ऑफिस नंबर III,
  एलआईसी डिवीजनल ऑफिस के पीछे,
  पट्टम, तिरुवनंतपुरम
  केरल – 695004
- सभी लिफाफों पर संपर्क नंबर और ई-मेल पते के साथ बोलीदाता का नाम एवं पता लिखा होना चाहिए।

- **बोलीदाता खंड 5.8 में उल्लिखित विधिवत भरे हुए अनुबंधों के साथ वाणिज्यिक प्रस्तावों वाले लिफाफों को सील करेगा।**
- यह लिफाफा नॉन-विंडो होना चाहिए और अलग से आंतरिक साज-सज्जा कार्यों के लिए निविदा आवेदन, एलआईसी के सिटी ब्रांच ऑफिस नंबर III बिल्डिंग, पट्टोम, तिरुवनंतपुरम, केरल के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित", तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय का नवीनीकरण" जैसा लागू हो, लिखा होना चाहिए।
- यदि लिफाफे मुहरबंद और चिन्हित नहीं किया गए हों तो बैंक बोली के गुम होने या समय पूर्व खुल जाने हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।
- ऐसी बोली जो ठीक प्रकार से मुहरबंद नहीं हुई उन पर विचार नहीं किया जाएगा और उपाश्रय के बिना अस्वीकृत कर दिया हो जाएगी।

5.14. बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि

- बोलियां रा.आ.बैंक को निर्दिष्ट पते पर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पहले, जिसे ऊपर दर्शाया गया है, प्राप्त हो जानी चाहिए।
- बोली प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट तिथि यदि रा.आ.बैंक के लिए अवकाश घोषित हो जाता है तो बोली अगले कार्य दिवस में निर्दिष्ट समय तक प्राप्त की जा सकती है।
- रा.आ.बैंक स्व निर्णयानुसार, रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर सूचित करते हुए बोली दस्तावेजों को संशोधित करके बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा सकता है, उस स्थिति में, रा.आ.बैंक और बोलीदाता के सभी अधिकार और उत्तरदायित्व वृद्धित अंतिम तारीख तक पूर्ववत रहेंगे।

5.15 देर से प्राप्त बोलियां

रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित बोलियों को प्रस्तुत करने की समय सीमा के बाद रा.आ.बैंक द्वारा प्राप्त किसी भी बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा और बोलीदाता को बिना खोले वापस कर दिया जाएगा।

5.16 रा.आ.बैंक द्वारा बोलियां खोला जाना

- निर्धारित तिथि और समय पर, बोलियां रा.आ.बैंक समिति द्वारा बोलीदाता के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, जो उस निर्धारित तिथि को उपस्थित होंगे, खोली जाएंगी।

5.17 बोलियों का स्पष्टीकरण

बोलियों के मूल्यांकन के समय, रा.आ.बैंक स्व निर्णयानुसार, बोलीदाता से उसकी बोली का स्पष्टीकरण मांग सकता है। स्पष्टीकरण के लिये अनुरोध और उसका उत्तर लिखित (फैक्स /ईमेल) होगा और बोली की विषय वस्तु में किसी परिवर्तन की मांग नहीं की जाएगी या अनुमति नहीं दी जाएगी।

5.18 प्रारंभिक जांच

- रा.आ. बैंक यह देखने के लिए बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूरी हैं, दस्तावेजों पर सही प्रकार हस्ताक्षर किये गये हैं, सहायक कागजात /दस्तावेज संलग्न किये गये हैं एवं बोलियां हर प्रकार से ठीक हैं आदि।
- रा.आ.बैंक, अपने विवेकानुसार, बोली में किसी भी मामूली कमी, गैर-अनुरूपता या अनियमितता को माफ कर सकता है जो भौतिक विचलन का गठन नहीं करता है, बशर्ते ऐसी छूट किसी भी बोली लगाने वाला की सापेक्ष रैंकिंग को प्रभावित या पक्षपात नहीं करती है।
- बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन के लिए रा.आ.बैंक का निर्णय अंतिम है।

5.19. प्रस्ताव का स्वामित्व

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और संलग्न दस्तावेज तब तक रा.आ. बैंक की सम्पत्ति होंगे जब तक कि रा.आ. बैंक बोलीदाता का वह अनुरोध लिखित में स्वीकार नहीं कर लेता कि प्रस्ताव तथा दस्तावेज लौटा दिये जाएंगे या नष्ट कर दिये जाएंगे।

5.20. बोलीदाताओं को निर्देश

बोलीदाता रा.आ.बैंक द्वारा समुदेशित कार्य को रा.आ.बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी तृतीय पक्ष को आउटसोर्स नहीं करेगा और रा.आ.बैंक द्वारा पंजीकृत सभी शिकायतों को केवल अपनी सेवा/समर्थन अवसंरचना के माध्यम से ही निपटाएगा।

5.21.सहायक सेवाओं की समय पर उपलब्धता

इस आरएफपी के तहत सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाता के पास तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय (एलआईसी के सिटी ब्रांच ऑफिस नंबर III बिल्डिंग, पट्टोम, तिरुवनंतपुरम, केरल के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित) में उचित और पर्याप्त समर्थन तंत्र होना चाहिए।

5.22. बोली मूल्यांकन

तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाता, आरएफपी के पूर्व-योग्यता मानदंड के अनुसार, कार्यों को पूरा करने के लिए "अनुलग्नक V- वाणिज्यिक बोली" के अनुसार न्यूनतम प्रतिशत दर उद्धृत करते हुए, परियोजना के लिए चुना जाएगा।"

5.23. संशोधन एवं आहरण

- प्रत्येक बोलीदाता केवल एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। यदि बोलीदाता एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तो, ऐसे सभी प्रस्तावों को अयोग्य माना जाएगा।
- बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्व-बोली बैठक के बाद ही बोलियां जमा करें क्योंकि एक बार जमा की गई बोली को अंतिम माना जाएगा और इस पर कोई और पत्राचार नहीं किया जाएगा। बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद कोई बोली संशोधित नहीं की जाएगी। यदि बोलीदाता सफल बोलीदाता बन जाता है तो बोलीदाता को बोली वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- रा.आ. बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या प्राप्त सभी निविदाओं को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। रा.आ. बैंक किसी भी कारण से बोली दस्तावेजों की गैर-रसीद/कोई भी वितरण न होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

5.24. कीमतों का प्रकटीकरण

वाणिज्यिक बोली के अलावा तकनीकी या बोली के अन्य भाग में किसी भी रूप में या कारण से कीमतों का उद्घाटन नहीं किया जाएगा। ऐसा करने में विफल रहने पर बोली निरस्त होने के लिए पात्र होगा।

5.25.बोली लगाने वाली कंपनियों की निबंधन व शर्तें

बोली लगाने वाली कंपनियों को बोली हेतु अपनी स्वयं के निबंधन व शर्तें लगाना आवश्यक नहीं है यदि ऐसी निबंधन व शर्तें प्रस्तुत की जाती है तो उसे उनकी बोलियों के हिस्से के तौर पर नहीं माना जाएगा। बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें आरएफपी के इस आमंत्रण पर लागू अनुबंध की निबंधन व शर्तें स्वीकार नहीं है तो वे खंड **अनुलग्नक- III** के अनुसार व्यतिक्रमों को स्पष्ट तौर पर विनिर्दिष्ट करें। बोलीदाता स्पष्ट तौर पर दर्शायें कि वे प्रस्तुत किये जाने वाले उपकरण एवं सेवाओं में इन विनिर्देशों एवं अपेक्षाओं में निर्धारित विनिर्देशों से किस संबंध में एवं किस सीमा तक की भिन्नता/व्यतिक्रम होगा।

5.26.स्थानीय परिस्थितियां

बोलीदाता ऐसी स्थानीय परिस्थितियों एवं कारकों से भलीभांति परिचित हो जो अनुबंध के कार्य निष्पादन एवं/अथवा लागत पर कोई प्रभाव डालते हों।

5.27. राष्ट्रीय आवास बैंक से संपर्क करना अथवा बाहरी प्रभाव डालना

बोलीदाताओं को वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के समय से लेकर अनुबंध प्रदान किये जाने के समय तक इस बोली से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रीय आवास बैंक अथवा इसके सलाहकारों से संपर्क करना निषिद्ध है। बोलीदाताओं द्वारा बोली मूल्यांकन प्रक्रिया अथवा अनुबंध प्रदान करने के निर्णय को प्रभावित करने वाले कोई प्रयास करने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

5.28 प्रस्ताव की सामग्री

बोलीदाता के प्रस्ताव मूल्यांकन एवं चयन प्रकिया का मुख्य विषय है इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि बोलीदाता ध्यानपूर्वक अपना प्रस्ताव तैयार करें। बोलीदाता के प्रस्ताव की गुणवत्ता साधन उपलब्ध कराने में वेंडर की क्षमता एवं इस परियेाजना में बोलीदाता की रूचि के सूचक के तौर पर देखी जाएगी।

5.29 प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर किये गये बोलीदाता

बोलीदाता को यह घोषणा पत्र देना होगा कि वे किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर नहीं किया गया है। यदि बोलीदाता किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है तो यह तथ्य स्पष्ट तौर पर दर्शाया जाय। यदि यह घोषणापत्र नहीं दिया जाता है तो बोली गैर जिम्मेदारी के तौर पर अस्वीकृत कर दी जाएगी। यह घोषणापत्र तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत की जाये।

5.30 विधि का अनुपालन

(क) सलाहकार/बोलीदाता को इस निविदा में उन्हें एवं सभी प्रयोजनों में उनको, उनके बारोबार, उनके कर्मचारियों अथवा उनके दायित्वों से संबंधित अथवा लागू प्रवृत्त सभी कानूनों अथवा जो भविष्य में लागू किये जाएं के बारे में पर्यवेक्षण करने, पालन करने, मानने एवं अनुपालन करने एवं राष्ट्रीय आवास बैंक को सूचित करने तथा अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटो की क्षतिपूर्ति,हानिरहित पकड, बचाव एवं रक्षा करने का वचन देना होगा।

(ख) सलाहकार ऐसी सभी सहमतियां, अनुमतियां, अनुमोदन, लाइसेंस इत्यादि तुरंत प्राप्त एवं समय पर प्राप्त करेगा जो लागू कानून, सरकारी विनियमनों/दिशा निर्देशों के तहत इस परियोजना के किसी भी प्रयोजन एवं अपने स्वयं के कारोबार संचालित करने हेतु अनिवार्य अथवा आवश्यक हो एवं परियोजना की अवधि के दौरान उसे वैध अथवा प्रवृत्त रखेगा एवं इसमें किसी प्रकार से असफल रहने अथवा चूक होने की स्थिति में अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटो की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड, बचाव, रक्षा करने एवं पूरी तरह क्षतिपूर्ति करने का वचन देना होगा।राष्ट्रीय आवास बैंक लेखा परीक्षा फर्म को यथोचित समय सीमा के भीतर देयता के ऐसे दावे अथवा मांग का नोटिस देगा।

(ग) यदि राष्ट्रीय आवास बैंक विलय, समामेलन, अधिग्रहण, समेकन, पुनर्निर्माण, स्वामित्व में परिवर्तन इत्यादि की प्रक्रिया से गुजरता है तो यह अनुबंध नई संस्था को सौंपे जाने वाला माना जाएगा एवं इस तरह के कार्य से इस अनुबंध के तहत लेखा परीक्षा फर्म के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

5.31 झूठा/अधूरा विवरण

बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया कोई विवरण/घोषणापत्र यदि निविदा के किसी भी चरण में अथवा अनुबंध के किसी भी चरण में स्वीकारी गयी उसकी निविदा की स्थिति में गलत अथवा झूठी साबित होती है अथवा अधूरी पाई जाती है अथवा जैसे निविदा प्रदान करने में किसी प्रकार की प्रासंगिक जानकारी रोकती है तो उसका/उनकी निविदा(यें)/अनुबंध (धों) को निम्नलिखित के अतिरिक्त निरस्त/रद्द कर दिये जाएंगे:

क. यदि ऐसा विवरण निविदा के चरण में पाया जाता है तो बैंक उचित समझी जाने वाली कार्यवाही कर सकता है।

ख. यदि ऐसा विवरण अनुबंध के चरण में पाया जाता है तो रा.आ.बैंक अपने विवेकानुसार संविदा को समाप्त करने हेतु आरएफपी में प्रदान की गई यथोचित कार्रवाई कर सकता है।

6. बोली (तकनीकी एवं वाणिज्यिक) मूल्यांकन पद्धति

तकनीकी मूल्यांकन-निम्नलिखित पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाले बोलीदाता निविदा में भाग लेने के लिए पात्र होंगे और नीचे उल्लिखित किसी भी मानदंड पर पात्र नहीं होने वाले बोलीदाताओं से प्राप्त बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा और आगे के मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

1) बोलीदाता के पास तिरुवनंतपुरम सर्कल में इंटीरियर फर्निशिंग ठेकेदार के रूप में आरबीआई/एसबीआई के साथ सूचीबद्ध होना चाहिए।

2) बैंक और विक्रेता द्वारा पूर्व अनुबंध सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

विक्रेता को बैंक की संतुष्टि के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा, जैसा कि नीचे सारणीबद्ध है:

न्यूनतम योग्यता मानदंड	**सहायक दस्तावेज़**
बोलीदाता के पास तिरुवनंतपुरम सर्कल में इंटीरियर फर्निशिंग ठेकेदार के रूप में आरबीआई/एसबीआई के साथ सूचीबद्ध होना चाहिए।	**प्रमाण पत्र जिसमें वर्णित हो कि विक्रेता आरबीआई/एसबीआई के साथ तिरुवनंतपुरम सर्कल में इंटीरियर फर्निशिंग ठेकेदार के रूप में सूचीबद्ध है।**
बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बोलीदाता को राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ पूर्व-अनुबंध सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा	**अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता (जहां भी लागू हो) अनुलग्नक VIII में दिए गए प्रारूप में (अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता 100/- रुपए के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर साफ-साफ टाइप करके प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होना चाहिए तथा बाद में एनएचबी की ओर से भी उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। निष्पादन की तिथि बोलीदाता द्वारा बोली में उल्लिखित तिथि होनी चाहिए)**

उपरोक्त पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले बोलीदाता अगले चरण यानी वाणिज्यिक बोली खोलने के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे।

वाणिज्यिक मूल्यांकन- तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाता, आरएफपी के पूर्व-योग्यता मानदंडों के अनुसार, कार्यों को

पूरा करने के लिए "अनुलग्नक V- वाणिज्यिक बोली" के अनुसार सबसे कम प्रतिशत दर उद्धृत करते हुए, परियोजना के लिए चुना जाएगा।

7. वाणिज्यिक निबंधन व शर्तें

बोलदाताओं से अनुरोध है कि वे इस परियोजना/समनुदेशन की निम्नलिखित वाणिज्यिक निबंधन व शर्तों पर ध्यान दें।

7.1 कीमत

(क) बोलीदाता द्वारा उद्धृत कीमत में सभी प्रकार की लागतें शामिल होनी चाहिए।

(ख) वाणिज्यिक बोली के अनुसार कीमत में शुल्क, लेवी शुल्क, परिवहन, बीमा सहित सभी कर (जीएसटी छोड़कर) शामिल होने चाहिए।

(ग) समायोज्य कीमत युक्त कोटेशन के साथ प्रस्तुत बोली को अनुत्तरदायी समझा जाएगा एवं उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(घ) अनुबंधित दरों के आधार पर, रा.आ.बैंक अपने विवेक से दोबारा आदेश दे सकता है।

7.2 भुगतान की शर्तें

बैंक द्वारा नियुक्त वास्तुकार द्वारा प्रमाणित बिल राशि का 95% वितरण और वस्तुओं की सफल स्थापना और बैंक द्वारा साइन ऑफ करने के बाद ही जारी किया जाएगा। आपूर्ति की गई वस्तु की वास्तविकता सुनिश्चित करने हेतु बैंक आवश्यक परीक्षण प्रमाणपत्र/घोषणा/दस्तावेज मांग सकता है। वास्तुकार द्वारा प्रमाणित बिल राशि का शेष 5% बैंक द्वारा रखा जाएगा और इस आरएफपी के खंड 4 में परिभाषित 24 महीने की वारंटी अवधि के पूरा होने के बाद जारी किया जाएगा।

7.3 अनुबंध की समाप्ति के मामले में भुगतान

आरएफपी की शर्तों के अधीन, यदि अनुबंध समाप्त हो जाता है, तो लागू दंड एवं टीडीएस/अन्य लागू करों की कटौती के बाद सेवाओं के लिए भुगतान एसएलए के अनुसार संयुक्त माप करने के बाद वास्तुकार के प्रमाणीकरण के आधार पर किया जाएगा, जिस अवधि हेतु सेवाएं प्रदान की गई हैं।

8. सामान्य नियम एवं शर्तें

कृपया अंग्रेजी विषय वस्तु का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

8.12 जुर्माना

यदि सफल बोलीदाता निर्धारित समय के भीतर परियोजना को पूरा करने में विफल रहता है, तो रा.आ.बैंक प्रत्येक सप्ताह की देरी हेतु कार्य आदेश मूल्य के 1% का जुर्माना लगा सकता है या सफल बोलीदाता के लिए उसके हिस्से के लिए, वस्तु के मूल्य के अधिकतम 10% के अधीन हो सकता है। सप्ताह के अंश को सप्ताह के संदर्भ में देरी पर

पहुंचने के लिए पूरे एक सप्ताह के रूप में माना जाना चाहिए। एक बार अधिकतम हो जाने पर, रा.आ.बैंक आदेश को रद्द करने पर विचार कर सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि वारंटी अवधि के दौरान उजागर दोषों का सुधार सात दिनों के भीतर नहीं किया जाता है, तो रा.आ.बैंक इसे बाहर से ठीक करवा सकता है और इस पर होने वाले व्यय को प्रतिधारण धन से वसूल किया जाएगा।

8.13 कार्य आदेश/ पुरस्कार पत्र की स्वीकृति

रा.आ.बैंक दो प्रतियों में कार्य आदेश/पुरस्कार का पत्र जारी करके सफल बोलीदाता को लिखित रूप में सूचित करेगा। सफल बोलीदाता को स्वीकृति के प्रमाण में प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत रूप से स्वीकार किए गए एवं हस्ताक्षर किए गए कार्य आदेश/पुरस्कार आदेश के पत्र की तारीख से **7** कार्य दिवसों के भीतर डुप्लीकेट कॉपी रा.आ.बैंक को वापस करनी होगी। हालांकि, रा.आ.बैंक को कार्य आदेश/पुरस्कार के पत्र को रद्द करने का अधिकार है, अगर उसे निर्धारित अवधि के भीतर स्वीकार नहीं किया जाता है।

8.14 कर

प्रदान की गई सेवा की अवधि के दौरान प्रचलित सांविधिक दरों के अनुसार रा.आ.बैंक द्वारा वास्तविक आधार पर केवल जीएसटी का भुगतान किया जाएगा। लागू होने वाले अन्य सभी कर बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे। रा.आ.बैंक सफल बोलीदाता को किए गए भुगतानों के संबंध में प्रभावी विधि/नियमों के अनुसार स्रोत पर ऐसी कर कटौती करने के लिए अधिकृत है।

8.15 अनुबंध दस्तावेज़ों और सूचनाओं का उपयोग

बोलीदाता/सफल बोलीकर्ता, रा.आ.बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना, बोली दस्तावेज में रा.आ.बैंक द्वारा प्रदान किए गए किसी भी दस्तावेज या जानकारी का उपयोग नहीं करेगा या अन्यथा अनुबंध के निष्पादन के उद्देश्यों को छोड़कर।

8.16 कार्यभार

बोलीदाता/सफल बोलीदाता, रा.आ.बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना, अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा या आंशिक रूप से सौंपे/उप-अनुबंध नहीं करेगा।

8.17 पूर्व - संविदा सत्यनिष्ठा समझौता

रा.आ.बैंक और बोलीदाता के बीच एक "पूर्व - संविदा सत्यनिष्ठा का समझौते" पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। यह रा.आ.बैंक और बोलीदाताओं के बीच एक बाध्यकारी करार है। इस करार के तहत, बोलीदाता विनिर्दिष्ट तरीके से समनुदेशन पूरा करने हेतु रा.आ.बैंक से सहमत हैं। पूर्व - संविदा सत्यनिष्ठा के समझौते का प्रारूप **अनुबंध- VIII** के अनुसार होगा।

इस संबंध में, रा.आ.बैंक ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से श्री ज्ञानेश्वर शर्मा और श्री राजेंद्र श्रीवास्तव को सत्यनिष्ठा संधि के लिए स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर के रूप में नियुक्त किया है।

सत्यनिष्ठा संधि के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं या उपक्रमों के बोलीदाता द्वारा किसी भी उल्लंघन हेतु प्रतिबंधों का निम्नलिखित सेट लागू किया जाएगा:

i. अनुबंधों का अस्वीकरण या नुकसान;
ii. प्रमुख और प्रतिस्पर्धी बोलीदाता को होने वाली क्षति के लिए देयता; और
iii. उचित समय के लिए रा.आ.बैंक द्वारा उल्लंघनकर्ता का बहिष्कार।

बोलीदाताओं को यह भी सूचित किया जाता है कि पूरी कंपनी में आचार संहिता के कार्यान्वयन हेतु रिश्वत और अन्य अनैतिक व्यवहार अनुपालन कार्यक्रम के उपयोग को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हुए कंपनी आचार संहिता होनी चाहिए।

8.18 भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंध:

- भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से कोई भी बोलीदाता इस निविदा में बोली लगाने हेतु तभी पात्र होगा, जब बोलीदाता सक्षम प्राधिकारी यानी उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा गठित पंजीकरण समिति के साथ पंजीकृत हो।
  यद्यपि, यदि बोलीदाता उसी देश से हैं (यदि भारत के साथ भूमि सीमा साझा कर रहे हों) जिस देश में भारत सरकार ने ऋण व्यवस्था लागू की हैं या जिसमें भारत सरकार विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए ऐसे देशों की अद्यतन सूची के अनुसार परियोजनाओं के विकास में कार्य कर रही है, तो इस प्रकार का पंजीकरण इस आरएफपी के अंतर्गत पात्र होने हेतु अपेक्षित नहीं है।
- बोलीदाता को अनुलग्नक X में संलग्न प्रारूप के अनुसार प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। यदि सफल बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र नकली पाया जाता है तो यह निविदा के निरस्तीकरण का आधार बनेगा तथा कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चत की जाएगी।
- इस खंड के प्रयोजन हेतु:

8.18.1 “बोलीदाता" (कुछ संदर्भों में 'निविदा', 'सलाहकार' अथवा 'सेवा प्रदाता' शब्द सहित) से तात्पर्य है, कोई भी व्यक्ति या फर्म या कंपनी, जिसमें सहायता संघ या संयुक्त उद्यम (जो कई व्यक्तियों या फर्मों या कंपनियों का संघ है), प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति जो एतदपूर्व उल्लिखित बोलीदाताओं के किसी भी विवरण में नहीं आता, जिसमें किसी भी एजेंसी शाखा या कार्यालय को ऐसे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो खरीद प्रक्रिया में भाग लेता है, शामिल है।

8.18.2 “इस आदेश के उद्देश्य हेतु "भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से बोलीदाता” का अर्थ:-
(i)देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत संस्था; या
(ii)देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत सहायक कंपनी या संस्था; या
(iii) देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से वास्तव में नियंत्रित की गयी संस्था; या
(iv) संस्था जिसका लाभकारी मालिक देश में स्थित है; या
(v) संस्था का भारतीय (या अन्य) एजेंट; या
(vi) साधारण व्यक्ति जो देश का नागरिक है; या

(vii) सहायता संघ या संयुक्त उद्यम जहां सहायता संघ या संयुक्त उद्यम का कोई भी सदस्य उपरोक्त में से किसी के अंतर्गत आता है।

8.18.3 उपर्युक्त (ख) के प्रयोजन हेतु लाभकारी मालिक निम्नानुसार होगा।

i. कंपनी या सीमित देयता भागीदारी के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, स्वामित्व हित को नियंत्रित रखता है या जो अन्य माध्यमों से नियंत्रण रखता है।
"स्वामित्व हित को नियंत्रित करने" का अर्थ है, कंपनी के शेयरों या पूंजी या लाभ के पच्चीस प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदारी;
"नियंत्रण" में निदेशकों के बहुमत को नियुक्त करने या उनके शेयरहोल्डिंग या प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारकों के करार या वोटिंग करार सहित के आधार पर प्रबंधन या नीतिगत निर्णय को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा;

ii. साझेदारी फर्म के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, उसके पास साझेदारी का पंद्रह प्रतिशत से अधिक पूंजी या लाभ की हकदारी का स्वामित्व है;

iii. अनिगमित संघ या वैयक्तिकों के निकाय के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, जिसके पास संघ या वैयक्तिकों के निकाय की संपत्ति या पूंजी का पंद्रह प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदारी;

iv. जहां किसी भी साधारण व्यक्ति की पहचान उपर्युक्त (i) या (ii) या (iii) में नहीं की गयी है, लाभकारी मालिक प्रासंगिक साधारण व्यक्ति है जो वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी का पद ग्रहण करता है;

v. न्यास के मामले में, लाभकारी मालिक की पहचान में न्यास के प्रणेता, न्यासी, न्यास में पंद्रह प्रतिशत या इससे अधिक ब्याज के साथ लाभार्थी एवं कोई भी अन्य साधारण व्यक्ति जो नियंत्रण स्वामित्व की श्रृंखला के माध्यम से न्यास पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण का उपयोग करता है, शामिल होगी।

8.18.4 एजेंट एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी दूसरे के लिए कोई भी कार्य करने या तीसरे व्यक्ति के साथ डील करने में दूसरे व्यक्ति की जगह नियोजित होता है।

नोट: यह आरएफपी ऐसे कार्यों, गतिविधियों, उत्तरदायित्वों और सेवाओं के वर्णन करने में परिपूर्ण नहीं है जिसके लिए सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। बोलीदाता, इस निविदा की भागीदारी से, अप्रत्यक्ष रूप से इसकी पुष्टि करता है कि यदि कोई भी कार्य, गतिविधियां, उत्तरदायित्व या सेवाएं जो विशेष रूप से इस आरएफपी में वर्णित नहीं है, या विशेष रूप से वर्णित है लेकिन विनियामक/सांविधिक बदलावों के कारण उपयुक्त बदलाव/ संशोधन करने पड़ेंगे तथा संविदा के उचित निष्पादन हेतु रा.आ.बैंक द्वारा आवश्यक या उपयुक्त संदर्भित किए गए हैं, ऐसे कार्य, गतिविधियां, उत्तरदायित्व या सेवाएं (लागू बदलाव के साथ, यदि कोई हो) अंतर्निहित और इस आरएफपी के सेवा क्षेत्र के तहत समाविष्ट समझा जाएगा और बोलीदाता का प्रत्युत्तर उस सीमा तक तथा उसी प्रकार का होगा जैसा कि इस आरएफपी और बोलीदाता के प्रत्युत्तर में विशेष रूप से बताया गया है।

कार्य का दायरा

सामान्य

(बीओक्यू में सूचीबद्ध सभी कार्यों के निष्पादन के लिए, बोलीदाता मुख्य रूप से सीपीडब्ल्यूडी के मानक विनिर्देशों का पालन करेगा, जब तक कि सलाहकार/बैंक द्वारा अन्य निर्देश न दिए जाएं)

1. संपूर्ण कार्य निर्माताओं के मानक विनिर्देशों के अनुसार उच्चतम श्रेणी के तरीके से किया जाएगा।
2. उद्धृत दर में दीवारों, स्तंभों, बीम, सिल्स, छत आदि के टूटे हुए किनारों को बनाना शामिल होगा ताकि मौजूदा सतह का मिलान किया जा सके।
3. दिन का काम समाप्त होने के बाद, फर्श पर पेंट, फिटिंग, फर्नीचर, कांच के शीशे आदि के दाग अच्छी तरह से हटा दिए जाएंगे।
4. बोलीदाता को बाहर और अंदर नलिकाओं आदि से भवन के लिए मचान बनाने की लागत शामिल होगी।
5. बैटन पर बिजली के तारों को पेंट करने के लिए सावधानी बरती जाएगी जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।
6. पेंटिंग कार्य के लिए लगे कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए और सलाहकार/बैंक के कर्मचारियों के साथ-साथ फ्लैटों के रहने वालों द्वारा दिए गए आवश्यक निर्देशों का पालन करना चाहिए। बोलीदाता कर्मचारियों की किसी भी अप्रिय घटना और दुर्व्यवहार के लिए जिम्मेदार होंगे।
7. कार्यों की प्रगति के दौरान, बैंक के पास समय-समय पर ऐसे उचित समय या समय के भीतर कार्यों से हटाने का आदेश देने की शक्ति होगी, जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है, बैंक के इंजीनियर/वास्तुकार की राय में बैंक के इंजीनियर/वास्तुकार के विनिर्देशों या निर्देशों के अनुसार नहीं होने, उचित सामग्री का प्रतिस्थापन, और निविदा के अनुसार सामग्री या कारीगरी के साथ निष्पादित किसी भी कार्य को हटाने और उचित पुन: निष्पादन और विनिर्देशों या निर्देशों; और बोलीदाता तुरंत अपने खर्च पर ऐसा आदेश का पालन करेगा।
8. बोलीदाता नियोक्ता से अनुमोदित कार्य में उपयोग की जाने वाली सामग्री के सभी नमूनों को प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा।
9. बोलीदाता को सामान्य क्षेत्र मीटर से समान निकालने के लिए अपनी व्यवस्था करनी होगी। बोलीदाता को साइट पर लाई गई अपनी सभी सामग्री का ध्यान रखना होगा और बैंक इसकी सुरक्षा के लिए किसी भी तरह

से जिम्मेदार नहीं है। इसके अतिरिक्त, बैंक अपने परिसर में बोलीदाता कर्मचारियों को आवासीय आवास की अनुमति नहीं देगा।

10. बोलीदाता व्यक्तियों, जानवरों या चीजों को होने वाली सभी चोट के लिए और संपत्ति को सभी संरचनात्मक और सजावटी नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा जो स्वयं के या किसी नामित उप-बोलीदाता के कर्मचारी के संचालन या उपेक्षा से उत्पन्न हो सकता है, चाहे ऐसी चोट या क्षति लापरवाही से उत्पन्न हो। लापरवाही, दुर्घटना या कोई अन्य मामला जो भी अनुबंध के संचालन से जुड़ा किसी भी तरह से है। इस खंड में अन्य बातों के साथ-साथ, भवनों को होने वाली किसी भी क्षति, चाहे वह तत्काल निकटवर्ती हो या अन्यथा, और सड़कों, गलियों, फुटपाथ, पुलों या रास्तों को होने वाली किसी भी क्षति के साथ-साथ इस अनुबंध के अनुसार, पाला या मौसम की अन्य असमानता कारण विषय के निर्माण वाले भवनों और कार्यों को होने वाले सभी नुकसान को शामिल करने के लिए किया जाएगा। बोलीदाता नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा और उपरोक्तानुसार व्यक्तियों या संपत्ति को ऐसी किसी भी चोट या क्षति से उत्पन्न होने वाले सभी और किसी भी व्यय के संबंध में और सरकार के किसी भी अधिनियम के तहत चोट या क्षति के संबंध में किए गए किसी भी दावे के संबंध में या अन्यथा और ऐसे दावों के परिणामस्वरूप मुआवजे या क्षति के किसी भी पुरस्कार के संबंध में भी उसे हानिरहित रखेगा। ।
11. ठेकेदार इस खंड में उल्लिखित प्रत्येक प्रकार के सभी नुकसान को बहाल करेगा, ताकि सभी अनुबंध कार्यों को पूरा किया जा सके और हर संबंध में पूर्ण और सही हो सके और तृतीय पक्ष की संपत्ति को नुकसान के सभी दावों को अच्छा या अन्यथा संतुष्ट किया जा सके।
12. बोलीदाता कार्यों के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली किसी भी चीज के संबंध में जनता या अन्य तृतीय पक्ष के किसी भी सदस्य द्वारा नियोक्ता के खिलाफ किए जा सकने वाले सभी दावों के खिलाफ नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा और अपने व्यय पर प्रभावी और बनाए रखने की व्यवस्था करेगा, इस तरह के जोखिमों के खिलाफ नियोक्ता और बोलीदाता के संयुक्त नामों में अनुबंध मूल्य के बराबर राशि के लिए अनुबंध की अनुमोदित नीति (बोलीदाता की सभी जोखिम नीति) के साथ अनुबंध के आभासी समापन तक और इस तरह की नीति या नीतियों को नियोक्ता के साथ इस अनुबंध की अवधि के दौरान समय-समय पर जमा करेगा।
13. बोलीदाता, बोलीदाता या किसी उप-बोलीदाता के किसी भी कर्मचारी के संबंध में इस अनुबंध की अवधि के दौरान या सामान्य विधि में लागू सभी दावों के खिलाफ नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा, जो नियोक्ता पर किए जा सकते हैं, चाहे वह कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत हो या इस अनुबंध की अवधि के दौरान लागू किसी अन्य विधि के तहत हो और अपने स्वयं के व्यय पर प्रभाव डालेगा और बनाए रखेगा, जब तक इस तरह के जोखिमों के खिलाफ नियोक्ता और बोलीदाता के संयुक्त नामों में अनुबंध मूल्य के बराबर राशि के लिए अनुबंध की अनुमोदित नीति के साथ अनुबंध के आभासी समापन तक और इस तरह की नीति या नीतियों को नियोक्ता के साथ इस अनुबंध की अवधि के दौरान समय-समय पर जमा करेगा।
14. तृतीय-पक्ष बीमा पॉलिसी के तहत कवरेज की न्यूनतम सीमा किसी एक दुर्घटना या घटना के लिए प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपये और किसी एक दुर्घटना या घटना के लिए संपत्ति के नुकसान के संबंध में 5 लाखरुपये होगी।
15. बोलीदाता किसी भी चीज के लिए, जिसे ऊपर उल्लिखित बीमा पॉलिसियों से बाहर रखा जा सकता है और इस अनुबंध से लापरवाह या दोषपूर्ण संचालन से उत्पन्न होने वाले किसी भी व्यक्ति, पशु या संपत्ति को अन्य सभी नुकसान के लिए भी जिम्मेदार होगा। वह किसी भी दावे या कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली किसी भी लागत, शुल्क या व्यय के संबंध में और इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी पुरस्कार या मुआवजे या नुकसान के संबंध में नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा।

16. नियोक्ता स्वतंत्र होगा और एतद्द्वारा बोलीदाता को देय या देय होने वाले किसी भी या सभी राशियों से ऐसे किसी भी दावे या क्षति से उत्पन्न होने वाले या होने वाले किसी भी नुकसान मुआवजे, लागत, शुल्क और व्यय की राशि में कटौती करने का अधिकार है। उपरोक्त के अतिरिक्त, बोलीदाता कार्य के आभासी समापन तक एक अनुमोदित बीमा कंपनी के साथ पूरी अनुबंध राशि के लिए, आग के कारण नुकसान के खिलाफ काम का बीमा करेगा।
17. मात्रा में विचलन
    i. व्यक्तिगत मद के लिए विचलन सीमा का अधिकतम ± 10%

    हालांकि, बैंक साइट की आवश्यकता के अनुसार किसी भी निविदा मद या गैर-निविदा मद के निष्पादन के लिए अतिरिक्त अनुमोदन प्रदान कर सकता है।
18. अतिरिक्त मद: रा.आ.बैंक अधिकारी के लिखित आदेश के बिना कोई अतिरिक्त वस्तु स्थापित नहीं की जाएगी।
19. **मापन**

    सभी माप आईएस 1200 और सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल के अनुसार होंगे। लंबाई और चौड़ाई को एक सेंटीमीटर तक मापा जाना चाहिए। माप में कटौती को निम्नानुसार विनियमित किया जाना चाहिए:
    - क. 0.5 वर्ग मीटर से कम खोलने पर कोई कटौती नहीं की जाएगी और उसमें लगे जाम, सिल्स इत्यादि के लिए कोई अतिरिक्त राशि नहीं दी जाएगी।
    - ख. 0.5 वर्गमीटर से अधिक खुलने पर कटौती की जाएगी और उसमें लगे जाम, सिल्स इत्यादि को मापा जाएगा।
    - ग. पेंटिंग के समान क्षेत्रों प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की सतहों के लिए गुणांक को गुणा करना नवीनतम भारतीय मानक संहिता के अनुसार होगा। (बीआईएस)

सुरक्षा कोड

1. पर्याप्त स्टरलाइज़्ड ड्रेसिंग और रूई सहित प्राथमिक चिकित्सा उपकरणों को आसानी से सुलभ स्थान पर रखा जाएगा।
2. किसी घायल व्यक्ति को यदि चोट के कारण अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक है तो बिना समय गंवाए सार्वजनिक अस्पताल ले जाया जाएगा।
3. उन सभी कार्यों के लिए श्रमिकों के लिए उपयुक्त और मजबूत मचान उपलब्ध कराए जाने चाहिए जो जमीन से सुरक्षित रूप से नहीं किए जा सकते।
4. कोई भी पोर्टेबल एकल सीढ़ी 8 मीटर से अधिक लंबाई की नहीं होगी। साइड रेलों के बीच की चौड़ाई 30 सेमी (स्पष्ट) से कम नहीं होगी और दो आसन्न पायदानों के बीच की दूरी 30 सेमी से अधिक नहीं होगी। जब सीढ़ी का उपयोग किया जाता है तो सीढ़ी पकड़ने के लिए एक अतिरिक्त मजदूर लगाया जाएगा।
5. मलबे को भवन के किनारे के 1.5 मीटर के भीतर नहीं रखा जाएगा।
6. भवन के फर्श में या कार्य क्षेत्र में प्रत्येक उद्घाटन उद्घाटन में व्यक्तियों या सामग्रियों को गिरने से रोकने के लिए न्यूनतम ऊंचाई या 1 मीटर की उपयुक्त बाड़ या रेलिंग प्रदान करके उपयुक्त साधन उपलब्ध कराए जाएंगे।
7. किसी भी फर्श, छत या संरचना के अन्य हिस्से को मलबे या सामग्री से इतना अधिक लोड नहीं किया जाएगा कि इसे असुरक्षित बना दिया जाए।
8. ईंट मोर्टार, सीमेंट मोर्टार या कंक्रीट जैसे मिश्रण और हैंडलिंग सामग्री पर नियोजित श्रमिकों को सुरक्षात्मक फुटवियर और रबर हैंड दस्ताने प्रदान किए जाएंगे।

9. i) लेड या लीड उत्पादों वाले किसी भी पेंट का उपयोग पेस्ट या रेडीमेड पेंट के रूप को छोड़कर नहीं किया जाएगा।

   ii) जब पेंट स्प्रे के रूप में लगाया जाता है या सीसा पेंट सूखा घिसा हुआ और खुरच कर लगाया जाता है तो श्रमिकों द्वारा उपयोग के लिए उपयुक्त फेसमास्क की आपूर्ति की जानी चाहिए।
10. कार्यों में उपयोग की जाने वाली होइस्टिंग मशीनें और टैकल, जिसमें उनके संलग्नकएंकरेज और सपोर्ट शामिल हैं, सही स्थिति में होने चाहिए।
11. सामग्री को उठाने या उतारने में या निलंबन के साधन के रूप में उपयोग की जाने वाली रस्सियाँ टिकाऊ गुणवत्ता और पर्याप्त मजबुत और दोषों से मुक्त होंगी।
12. भवन पर बाहरी पेंटिंग/पलस्तर, दरार भरने आदि कार्य करते समय सुरक्षा बेल्ट का प्रयोग किया जाना चाहिए। पूरे कार्य की देखरेख एक अनुभवी पर्यवेक्षक द्वारा की जानी चाहिए।

अनुलग्नक

कृपया अंग्रेजी विषय वस्तु का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी मूलपाठ मान्य होगा।

XXXXXX